**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास भवनों का निर्माण**

2575. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास के भवन का निर्माण करने की लागत सीमा मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो मैदानी क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्रों से अलग करने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश के भू-भौतिकी और दूरस्थ अंचलों में भी इस प्रकार के निर्माण कार्य के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए निर्धारित अधिकतम लागत सीमा को लागू किए जाने की अनुमति दी जायेगी ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** (क) जी, हां ।

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में निर्माण लागत सस्ती है । अतः इन दो क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न मापदण्ड अपनाये गये हैं ।

(ग) यदि मध्य प्रदेश स्थिति भू-भौतिकी तथा दूरस्थ क्षेत्रों को पर्वतीय क्षेत्र कहा जा सकता है तो निश्चय ही पर्वतीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा की अनुमति दी जाएगी ।

**हिमाचल प्रदेश के "गुज्जर और "गद्दी" समुदाय**

2576. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंडी, किन्नौर और शिमला तथा चम्बा जिले के भरमौर, पांगी तथा लाहौल स्पिति में रह रहे "गाद्दियों" और "गुज्जरों" को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है जबकि कुल्लू, कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर जिलों में रहने वाले इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों के लोगों को अनुसूचित जनजातियों के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा गया है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए कोई अनुरोध, किया है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूचियों में व्यापक संशोधन के संदर्भ में उपरोक्त प्रस्ताव विचाराधीन है ।

**कल्याण संगठनों द्वारा सहायता-राशि का दुरुपयोग**

2577. **श्री अजीत जोगी :**
**चौधरी हरि सिंह :**

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान किसी संगठन द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए प्राप्त सहायता राशि के दुरुपयोग का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?